न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्या:-248/13 (आरसीएमएस नं. 2013/00003)

1. शिवनारायण पुत्र सुमरता, जाति मीना, निवासी बासडी कोल्ड स्टोरेज खेडली रोड़ वार्ड नम्बर 30, कोटपुतली, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार कोटपुतली, जिला जयपुर।
2. प्रेमवीर पुत्र मक्खनलाल, जाति मीना, निवासी बूचाहेडा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर।
3. श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व. रूपसिंह मीना पुत्र स्व. मक्खनलाल जाति मीना, निवासी मौहल्ला बूचाहेडा, कोटपुतली

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 13.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली जिला जयपुर के आदेश दिनांक 11.07.2013 (प्रकरण संख्या 19/2012) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील एवं अपनी लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपुतली जिला जयपुर में स्थिति आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 596 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 605 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 606 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 607 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 608 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बरान 1106, 1107, 1108, कुल किता 3 कुल रकबा 2. 84 हैक्टयर भूमि, बिन्दु खॉ मुसलमान वगैरह की खातेदारी में थी एवं उक्त भूमि का कब्जा अपीलार्थी के पिता सुमरता पुत्र हरपाल मीणा का चला आ रहा था तथा अपीलार्थी के पिता उक्त भूमि का लगान व अन्य कर नियमित रूप से जमा कराता आ रहा था। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रेमवीर मीणा ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण फर्जी सनद् क्रम संख्या टीआरए/आरए/पीटी. 382 दिनांक 05.06.1977 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 द्वारा अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि ऐसी सनद् राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध नही है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार कोटपुतली द्वारा रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान् को भिजवाई गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के पिता सुमरता पुत्र हरपाल मीणा अशिक्षित एवं भोले भाले व्यक्ति थे, जो उक्त आराजीयात पर नियमित रूप से काबिज रहकर मकानात इत्यादि बनाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते चले आ रहे थे, अपीलार्थी को किन्ही कारणवंश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर यह जानकार अचम्भा हुआ कि उक्त आराजीयात का नामान्तरकण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम दर्ज किया जा चुका है, अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 235 जिस आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने खोला गया, उस आदेश की नकल चाहने वास्ते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन काफी तलाश करने के पश्चात् एवं काफी समय व्यतित हो जाने पर भी उक्त आदेश की नकल प्राप्त नही हुई। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार का प्रार्थना पत्र एवं अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 235 जिस आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम खोला गया उस आदेश की नकल चाहने वास्ते निवेदन किया गया तब तहसीलदार कोटपुतली द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में यह उल्लेखित किया गया कि ऐसा कोई आदेश रिकार्ड में उपलब्ध नही है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 को निरस्त करने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली के यहॉ प्रस्तुत की एवं अपील के साथ देरी माफी हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया एवं निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 के बारे में पूर्व में अपीलार्थी को कोई जानकारी नही थी एवं अपीलार्थी ने उक्त आराजीयात की जमाबन्दी लेने के लिऐ हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उन्होने यह बताया कि उपरोक्त आराजीयात तो आपके नाम नही है, तत्पश्चात् अपीलार्थी ने उक्त भूमि के नामान्तरकण की नकल वास्ते आवेदन दिनांक 16.11.2012 को पेश किया लेकिन काफी प्रयास करने के पश्चात् भी नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 के आदेश की नकल प्राप्त नही हो सकी एवं तहसीलदार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का जवाब दिनांक 16.08.2013 भिजवाकर यह स्पष्ट किया कि जिस सनद् के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 तस्दीक किया गया है, वह रिकार्ड में उपलब्ध नही इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी जानबुझकर नही बल्कि उक्त कारण से हुई जो माफ किये जाने योग्य है लेकिन इन तथ्यों पर गौर नही कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली ने अपीलार्थी अपील को देरी से पेश करना मानते हुए विधि विरूद्ध तरीके से खारिज फरमा दिया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि लिखित बहस के साथ तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 07.03.13, सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2012, सूचना के अधिकार के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2012, अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई लगान की रसीदे, गिरदावरी रिपोर्ट, तहसीलदार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 16.08.2013, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल प्रार्थना पत्र बाबत आदेश सनद् क्रम संख्या टीआरए/आरए/टीपी. 382 दिनांक 05.06.1977 चाहने की छाया प्रतियॉ संलग्न कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 11.07.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के नाम उपरोक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट शिवरानायण ने न्यायालय अतिरक्त जिला कलक्टर कोटपुतली में एक अपील उनवानी शिवनारायण बनाम तहसीलदार कोटपुतली व अन्य अपील संख्या 19/2012 पेश की थी, जो तहसीलदार कोटपुतली के नामान्तरकरण संख्या 235 निर्णय दिनांक 07.08.1996 वाके आराजी मौजा बासडी के विरूद्ध पेश की थी जिसमें अपीलान्ट ने कथन किया था कि खसरा नम्बर 1106, 1107, 1108 वाके मौजा बासडी का काश्तकार अपीलान्ट का पिता सुमरता पुत्र हरपाल मीना था इसकी मृत्यु होने के बाद उसके कायम मुकाम अपीलान्ट है, अपीलान्ट अनपढ़ काश्तकार है, रेस्पोडेन्ट प्रेमवीर ने फर्जी सनद् क्रम संख्या टीआरए/आरए टी.पी. 382 दिनांक 05.06.1996 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 को दर्ज करवा लिया जबकि उक्त सनद् कभी जारी नही हुई, ना सनद का कोई रिकार्ड उपलब्ध है, अपीलान्ट बुजुर्गान के समय से उक्त आराजी पर काबिज है, गत माह जमाबन्दी लेने पर एवं पटवारी से सम्पर्क किया तो पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन अपीलान्ट के नाम नही है, इस पर तहसील कार्यालय में अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल लेने के लिये आवेदन किया जिस पर नकल प्राप्त होने से तमाम तथ्यों की जानकारी हुई है एवं विधिक सलाह लेकर अपील निम्न आधारों पर पेश है कि नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 तहसीलदार कोटपुतली विधि विरूद्ध मनमाना है इसलिये अपास्त होने योग्य है, नामान्तरकरण संख्या 235 में मृतक सुमरता के उत्तरजीवी अपीलान्ट का नाम राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का द्वारा सही दर्ज कर दिया गया था किन्तु अपीलान्ट अनपढ काश्तकार होने का फायदा उठाकर तत्कालीन तहसीलदार कोटपुतली ने बेबूनियादी नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो अपास्त किये जान योग्य है अपीलान्ट द्वारा अपनी आराजी की जमीन की नकल हल्का पटवारी से ली तो अपीलान्ट का नाम नही होना बताया आया और नकल प्राप्त कर बिना देरी अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर दी, अपील में देरी माफी के लिये अलग से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया और अन्त में इश्तदुआ की कि नामान्तरकरण संख्या 235 निरस्त कर आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट की नाम खोलने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट की उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर्ड हुई तथा मियाद के बिन्दू पर रेस्पोडेन्ट द्वारा सुनवाई के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना की गई जिस पर अपीलान्ट के अधिविक्ता द्वारा अपनी सहमति दी जाकर मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बाद बहस समाअत अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2013 के द्वारा अपीलान्ट की अपील बाद बहस एवं कानूनी न्यायिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपील आशातीत रूप से मियाद बाहर घोषित करते हुए अपील खारिज की जिसके विरूद्ध अपीलान्ट शिवनारायण द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है जो अपीलान्ट वजूहात जैल की बिना पर खारिज होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2013 किसी भी सूरत में विधि विरूद्ध मनमाना तथा कयास पर आधारित नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी नजीरों के आधार पर अपीलान्ट की अपील आशातीत रूप से मियाद बाहर होने के कारण खारिज की थी ऐसी सूरत में हस्तगत अपील किसी भी सूरत में चलने योग्य नही है और अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम कें नामान्तरकरण की जानकारी हल्का पटवारी से होना बताया है जिसकी कोई तारीख नही बताई गई है, ना नामान्तरकरण की नकल प्राप्त करने की कोई तारीख बताई गयी है, ना प्रार्थना पत्र दायर करने की कोई तारीख अंकित की है, महज कयास के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील हाजा के साथ पेश किया गया जिसमें कोई सन्तोषजनक डिले का कारण नही होने के कारण और धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप ना होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मियाद बाहर मानकर खारिज की है, जो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया न्यायोचित है तथा हस्तगत अपील भी खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील पेश की गई थी वह नामान्तरकरण आदेश दिनांक 07.08.1996 के विरूद्ध सन् 2012 में 16 साल के अन्तराल के पश्चात् दायर की गई थी जो देखने मात्र से ही आशातीत रूप से मियाद बाहर है जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट को तमाम तथ्यों की पूर्व से ही जानकारी थी तथा अपीलान्ट स्वयं ने रेस्पोडेन्ट प्रेमवीर मीना के पक्ष में आराजी बैचान का एक इकरारनामा दिनांक 08.07.1998 को किया था इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08.07.2009 को जिला कलक्टर जयपुर के यहॉ शिकायत की थी तथा दिनांक 13.07.2009 को मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की थी जिससे बखूबी साबित है कि सन् 2009 में उसे इन्द्राजात कागजात माल की बखूबी जानकारी थी और उसने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में सरासर गलत अभिवचन किये थे ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया वह पूर्णतया विधि सम्मत है तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन अपील भी खारिज होने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि मियाद अधिनियम का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब एक बार मियाद चलाना आरम्भ कर देती है तो वह कभी नही रूकती है, इस मामले में दिनांक 08.07.2009 को व दिनांक 13.07.2009 को जब अपीलान्ट ने शिकायते की, उस समय से ही मुताबिक कानून राजस्व रिकार्ड की एन्ट्री की जानकारी अपीलान्ट को हो चुकी थी तथा उसी दिन से मियाद का चलन शुरू हो गया था इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई अपील जो 16 साल के आशातीत विलम्ब के साथ पेश की गई थी तथा जिसके साथ पेश प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में कोई सन्तोषजनक कारण डिले का वर्णित नही किया गया था तथा झूंठे तथ्य वर्णित किये गये थे, ऐसी सूरत में अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज करने का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत है तथा निर्णय को अपास्त नही किया जा सकता है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपनी अपील व लिखित बहस में एक मुद्दा यह उठाया गया है कि रेस्पोडेन्ट के हक में किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है कि रेस्पोडेन्ट के हक में किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है जिसके लिये मियाद आडे नही आती है तथा कभी भी अपील पेश की जा सकती है जो तर्क अपीलान्ट के अधिवक्ता का कतई गलत है, मियाद अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यदि कोई आदेश विधि विरूद्ध भी हो तो भी एक युक्तियुक्त समय में ही उसे चुनौती दी जा सकती है, अपीलान्ट द्वारा 16 साल का असाधारण विलम्ब कर अपील दायर की है जो हर सूरत मे आशातीत रूप से मियाद बाहर है और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.07.2013 अपास्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है। उन्होने कथन किया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाहीयॉ एक फिस्कल कार्यवाही होती है जिसमें कोई टाईटल डिसाईड नही होते है, हस्तगत मामले में अपीलान्ट टाईटल का डिस्प्यूट करता है जो नामान्तरकरण की अपील मे तैय नही हो सकता है, रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो सनद् टी.आर.ए./टी.ए./टीपी 382 दिनांक 05.06.1977 यथावत कायम है तब तक उस सनद को चुनौती नही दी जा जाती एवं सनद् निरस्त नही हो जाती तब तक सनद की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 को चुनौती नही दी जा सकती है क्योंकि मूल आदेश सनद् आज तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कायम है तथा उसे अपीलान्ट द्वारा कोई चुनौती नही दी गई है, इस आधार पर अपीलान्ट की उक्त अपील मे उनकी कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से अपील बलहीन है तथा उसमें कोई मैरिट नही है इसलिये भी मियाद अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक परिसीमा में अपीलान्ट को कोई छूट नही दी जा सकी है, ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा इन्द्राजात कागजात माल यानि कि नामान्तरकरण के बाबत 2009 से ही जानकारी हो जाने के बाद अपीलान्ट द्वारा 16 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद अपील पेश की गई जो आशातीत रूप से मियाद बाहर है, मुताबिक कानूनी सोया दुआ पक्षकार अदालत से कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है, अपीलान्ट द्वारा युक्तियुक्त समय में अपील पेश नही की तथा जानकारी होने के बावजूद 16 साल के विलम्ब से अपील दायर की गई है जो कतई मियाद बाहर है तथा मियाद अधिनियम का यह भी सिद्धान्त है कि विलम्ब माफी की मांग अधिकारिक रूप नही कर सकता है इसलिये अपीलान्ट की अपील खारिज योग्य है। उन्होने कथन किया है कि मियाद अधिनियम का यह प्रचलित सिद्धान्त है कि जानकारी के बाद यदि कोई अपील विहित कालावधि में दायर नही की जाती है तो दिन प्रतिदिन के विलम्ब का सन्तोषजनक कारण जाहिर करना होता है, हस्तगत अपील में डिले के जो कारण बताये गये है वे कतई सन्तोषजनक नही है, ना ही दिन प्रतिदिन डिले का कोई

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हवाला है ऐसी सूरत में अपील अपीलान्ट काबिले खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन एवं आधारहीन तथा पूर्णतया वेग आधारों पर होने के कारण खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है अपीलान्ट ने प्रथम अपीलीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर, कोटपुतली के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 235 निर्णय दिनांक 07.08.1996 के विरूद्ध सन् 2012 में लगभग 16 वर्षो बाद मियाद बाहर पेश की थी जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से मियाद बाहर मानते हुऐ खारिज किया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी अंकित है कि स्वयं अपीलान्ट शिवनारायण पुत्र सुमरता ने रेस्पोडेनट संख्या 2 प्रेमवीर के पक्ष में विक्रय का इकरारनामा दिनांक 08.07.1998 को किया था इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 08.07.2009 को कलक्टर जयपुर के यहॉ शिकायत भी की गई थी तथा दिनांक 13.07.2009 को मुख्यमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की गई थी इन सभी आधारों पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट की प्रथम अपील सही रूम से मियाद बाहर खारिज की है इस कारण उक्त द्वितीय अपील में रेस्पोडेन्ट की ओर से निवेदन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय पूर्णतया उचित है तथा वर्तमान अपीलान्ट शिवनारायण को नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 की जानकारी शुरू से ही थी तथा उन्होने जानबुझकर लापरवाहीवंश प्रथम अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर मानते हुए आदेश दिनांक 11.07.2013 से खारिज की है जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से कायम रखे जाने योग्य है तथा उक्त द्वितीय अपील भी बिना मैरिट्स पर गये ही मियाद के कानूनी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने उक्त द्वितीय अपील में ऐसा कोई भी कानूनी बिन्दु नही बताया है जिससे कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो इस कारण भी उक्त द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है उन्होने यह भी कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में सनद् क्रम संख्या टी.आर.ए., आर.ए./टी.पी.382 दिनांक 05.06.1977 यथावत कायम है तब तक उक्त सनद् की पालना में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 07.08.1996 को चुनौती ही नही दी जा सकती है क्योंकि मूल आदेश सनद आज तक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कायम है तथा उक्त सनद को वर्तमान अपीलान्ट ने कभी भी चुनौती नही दी है इस आधार पर भी अपीलान्ट की उक्त अपील उनकी कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 235 सनद संख्या टी.आर.ए., आर.ए./टी.पी.382 दिनांक 05.06.1977

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व अन्य के नाम तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.08.1996 को स्वीकार किया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त सनद की छाया प्रति या मूल सनद ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है और ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई बल्कि तहसीलदार कोटपुतली द्वारा अपने पत्रांक 14 दिनांक 08.01.2016 से उपरोक्त नम्बर की कोई सनद जारी होना ही नही अवगत कराया है, द्वितीय रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी लिखित बहस में उक्त विवादग्रस्त आराजी का विक्रय इकरारनामा अपीलान्ट के साथ होना भी अंकित किया है ऐसी स्थिति में जब तहसील कार्यालय द्वारा किसी प्रकार की कोई सनद ही जारी नही हुई है तो उस सनद के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को किसी भी मायने में उचित नही ठहराया जा सकता है, द्वितीय यदि वादग्रस्त आराजी तहसील कार्यालय की किसी सनद के आधार पर रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई है तो फिर पक्षकार के मध्य वादग्रस्त आराजी का विक्रय इकरारनामा होने की कोई आवश्यकता ही नही थी जबकि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का इकरारनामा अपीलान्ट के साथ होना अपनी लिखित बहस में अंकित किया गया है। उक्त तथ्य एक दूसरे के विरोधाभाषी तथ्य है ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 235 को किसी भी मायने में उचित नही ठहराया जा सकता है तथा इस तरह के किसी भी अवैधानिक आदेश के विरूद्ध अपील हेतु मियाद का बिन्दु कोई मायने नही रहता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील को मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित नही है। यदि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के किसी प्रकार के कोई हक हकूक बनते है तो उसके लिये व सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा करवा सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपुतली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2013 एवं नामान्तरकरण संख्या 235 पर तहसीलदार कोटपुतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.1996 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार कोटपुतली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर